श्री मदन मोहन तिवारी, स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक–02.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–01

प्रश्नकर्त्ता **श्री मदन मोहन तिवारी,** स०वि०स० प्रश्न क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		उत्तरदाता श्रीमती बीमा भारती मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। उत्तर
1. क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत सुगर मिल मझौलिया में गन्ना पेराई सत्र 2018–19 में किसानों का बकाया 13 करोड़ है;		1. उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पेराई सत्र 2018–19 में मेसर्स मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, मझौलिया, प० चम्पारण द्वारा 99.65 प्रतिशत ईख मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। दिनांक–31.01.2020 तक मात्र मो० 66.17 लाख रूपये ईख मूल्य भुगतान मद में बकाया है। शेष भुगतान इस चीनी मिल द्वारा किया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि पिछला बकाया का भुगतान किये बिना ही नया पेराई सत्र चालू है तथा पुनः किसान अपना गन्ना उक्त मिल में देने को मजबूर है;		2. उत्तर अस्वीकारात्मक है। चालू पेराई सत्र 2019–20 में ससमय ईख मूल्य भुगतान करने हेतु सभी चीनी मिलों को निदेशित किया गया है।
3. यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार किसानों के बकाया राशि का भुगतान पेराई सत्र 2019–20 की समाप्ति से पूर्व देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?		3. उपरोक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

माननीय स०वि०स०, श्री जनार्दन मांझी द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न ईख–2 का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर सामग्री
(क) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत अमरपुर विधान सभा क्षेत्र में गन्ना की खेती व्यापक पैमाने पर होती है, लेकिन अच्छी किस्म का बीज नहीं मिलने से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, यदि हाँ तो सरकार किसानों के प्रोत्साहन के लिए अच्छा बीज एवं अनुदान देने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	(क) उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत कुल 28.10 करोड़ रू0 की योजना स्वीकृत की गयी है। ज्ञातव्य हो कि बांका जिला सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर के कार्यक्षेत्र में आता है। इस योजनांतर्गत सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2019–20 में आधार बीज उत्पादन एवं प्रशिक्षण मद में 4.70 लाख रू0 स्वीकृत किया गया है, जिससे आगामी वर्षो में उत्तम चयनित प्रभेद के प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

श्री मो० नेमातुल्लाह, स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–6

प्रश्नकर्त्ता श्री मो० नेमातुल्लाह, स०वि०स० प्रश्न क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		उत्तरदाता **श्रीमती बीमा भारती** **मंत्री** **गन्ना उद्योग विभाग।** उत्तर
क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला में अवस्थित सासामुसा चीनी मिल को सरकार के द्वारा सब्सिडी (माली मदद) नहीं देने के कारण चीनी मिल मालिक के द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे किसान एवं गन्ना उत्पादों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ तो सरकार उक्त मिल को सब्सिडी उपलब्ध कराकर चीनी मिल कब तक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?		उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा सभी चीनी मिलों को पेराई सत्र 2018–19 में कुल क्रय किये गये गन्ना पर 12.50 (बारह रूपया पचास पैसा) प्रति क्विंटल की दर से ईख मूल्य अनुदान भुगतान का निर्णय लिया गया, जिसके अन्तर्गत सासामुसा चीनी मिल, गोपालगंज को मो० 2.34 (दो करोड़ चौंतीस लाख) रूपये मुहैया कराया गया है। सासामुसा चीनी मिल द्वारा दिनांक–26.01.2020 से पेराई का काम बंद कर देने के कारण उस क्षेत्र के कृषकों के गन्ने के सामयिक खपत की समस्या उत्पन्न हो गयी थी, तत्पश्चात विभागीय कार्यालय आदेश 173 दिनांक–31.01.2020 के द्वारा पड़ोस की चीनी मिलों यथा–विष्णु सुगर मिल, गोपालगंज सिधवलिया चीनी मिल,सिधवलिया एवं बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर को क्रय केन्द्र आवंटित कर पेराई हेतु उपलब्ध समस्त गन्ने की खपत की जा रही है।

श्रीमती अरूणा देवी, माननीया स० वि० स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न–1491 का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह सही है कि नवादा जिले के बारिसलीगंज प्रखण्ड अंतर्गत वासोचक गाँव में पावर ग्रिड के बगल में 61 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है।	उद्योग विभाग से संबंधित नहीं है।
(2) क्या यह सही है कि नवादा जिला एक उद्योग विहीन जिला रहने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गयी है।	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि इकाई लगाई जाती है तो नीति के प्रावधान के तहत सहायता दी जाती है। इस नीति के अंतर्गत बिहार राज्य में अबतक कुल 217 इकाईयाँ कार्यरत हो चुकी है जिसमें कुल 5594 व्यक्ति नियोजित है। नवादा जिला में खाद्य प्रस्संकरण प्रक्षेत्र में 03 इकाई तथा उर्जा प्रक्षेत्र में 01 इकाई कार्यरत है जिसमें कुल 184 व्यक्ति नियोजित है। रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्रियान्वित है। जिसके अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों में 25920 रोजगार का सृजन हुआ। वित्तीय वर्ष 2019–2020 में नवादा जिला में बैंको द्वारा अब तक 21 आवेदकों के बीच रू0 71.76 लाख मार्जिन मनी राशि का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत कुल 3630 लाभुक है। इन लाभुकों को 133.03 करोड़ रूपये का अनुदान सह ब्याज रहित ऋण दिया गया है जिसमें नवादा जिले के भी 31 लाभुक हैं।
(3) क्या उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में रोजगार हेतु कबतक कृषि पर आधारित उद्योग लगवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक– 870 दिनांक– 29-02-2020

5/स० तारांकित प्रश्न (विधान सभा)–10/2020

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप सं०–270 दिनांक–25.02.20 के आलोक में 05 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 870 दिनांक– 29-02-2020

5/स० तारांकित प्रश्न (विधान सभा)–10/2020

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 (स०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री कृष्ण कुमार राय, कार्यकारी प्रबंधक–सह–औद्योगिक अर्थशास्त्री–सह–नोडल पदाधिकारी, विधानमंडलीय ऑनलाईन सूचना प्रणाली/आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

श्री गुलाब यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा के 194 वें सत्र में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ऐ–5 का उत्तर।

	प्रश्न	व्यक्तव्य
(क)	क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड स्थित औद्योगिक प्रांगण की भूमि को लघु उद्योग स्थापित करने के वास्ते विभिन्न इकाईयों को लीज पर दी गई है, यदि हाँ, तो उक्त स्थल पर किस–किस इकाईयों/एजेंसियों को लघु उद्योग स्थापित करने हेतु जमीन दी गयी ? वर्त्तमान में अनुज्ञप्ति के अनुरूप कौन से लघु उद्योग कार्यरत है?	स्वीकारात्मक है। औद्योगिक प्रांगण, झंझारपुर में कुल 20 इकाईयों को बियाडा द्वारा भूमि आवंटित किया गया है जिसमें दो लघु इकाईयाँ यथा सर्वश्री जगदम्बा इंटरप्राईजेज एवं सर्वश्री कृष्णा मिनी मॉर्डन राईस एण्ड चुड़ा मिल स्थापित एवं कार्यरत है। औद्योगिक प्रांगण, झंझारपुर में आवंटित कुल 20 इकाईयों में से 12 इकाईयाँ कार्यरत है। 01 इकाई निर्माणाधीन है। 07 इकाईयाँ बंद थीं। बंद इकाईयों को उत्पादन शुरू करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया जिसमे से 03 इकाईयों सर्वश्री सोनू रेडिमेड गारमेंट्स, सर्वश्री उमा मिनी मॉडर्न राईस मिल एवं सर्वश्री बंसल इण्डस्ट्रीज का भू–आवंटन रद्द किया जा चुका है। भू–आवंटन रद्द की गई उक्त तीन इकाईयों में से एक इकाई सर्वश्री उमा मिनी मॉडर्न राईस मिल द्वारा आवंटन रद्दीकरण के विरूद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय मे अपीलवाद संख्या–43/2019 दायर किया गया है, जो अद्यतन अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। शेष दो इकाईयों द्वारा आवंटन रद्दीकरण के विरूद्ध अपील दायर किये जाने की सूचना प्राप्त नहीं होने पर बियाडा द्वारा उक्त भूखंडो का स्वामित्व प्राप्त करते हुए उसे पुर्नआवंटन हेतु रिक्त भूखंडों की सूची में शामिल करते हुए उसे बियाडा के वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया गया है।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांकः– 869 दिनांकः– 29.02.2020

5/स० तारांकित प्रश्न (विधान सभा)–05/2020

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप सं०–168 दिनांक–19.02.20 के आलोक में 05 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 869 दिनांकः– 29.02.2020

5/स० तारांकित प्रश्न (विधान सभा)–05/2020

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 (स०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री कृष्ण कुमार राय, कार्यकारी प्रबंधक–सह–औद्योगिक अर्थशास्त्री–सह–नोडल पदाधिकारी, विधानमंडल ऑनलाईन सूचना प्रणाली/आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

श्री राजेन्द्र कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–आई0–564 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनु0 जाति–जनजाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एवं कुटीर उद्योग लगाने के लिए वर्ष 2018 में 10 लाख रूपये का ऋण अनुदान सहित ब्याज मुक्त राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अन्तर्गत प्रति लाभुक इकाई स्थापना हेतु रू0 10.00 लाख का वित्तीय सहायता दी जाती है। जिसमें परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 05. 00 लाख रू0 की अनुदान एवं 05.00 लाख रू0 ब्याज रहित ऋण दिया जाता है। तृतीय किस्त विमुक्ति के एक वर्ष बाद सूद मुक्त ऋण की 84 बराबर किस्तों में वसूली किये जाने का प्रावधान है।
(ख)	क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखण्ड में अनु0 जाति के शिक्षित युवा नगीना राम, प्रमोद राम, मटियरिया पंचायत सहित 50 से अधिक शिक्षित युवाओं द्वारा वर्ष 2017–18 में आवेदन दिया गया है परन्तु न तो प्रशिक्षण दिया गया है और न ही राशि उपलब्ध करायी गयी है ; यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना के तहत आवेदित आवेदकों को प्रशिक्षण दिला कर ऋण राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखण्ड में अनु0 जाति के शिक्षित युवा नगीना राम एवं प्रमोद राम का क्रमशः आवेदन संख्या CMSCST201816748 एवं CMSCST201817638 आवेदन दिनांक–16.10.18 एवं 26. 10.18 है। योजनान्तर्गत आवेदन संख्या CMSCST201809000 (9000 आवेदन) तक प्राप्त आवेदनों की समीक्षा पूर्व में की गई थी। पुनः दिनांक–23.01.2020 को हुई चयन समिति की बैठक में उक्त तिथि तक प्राप्त आवेदनों में से आवेदन संख्या CMSCST201809001 से CMSCST202048880 तक आवेदनों की समीक्षा की गई। 36,672 आवेदनों का इकाई स्थापना संबंधी कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण Query करने का निर्णय लिया गया। श्री नगीना राम एवं श्रीप्रमोद राम का आवेदन संख्या क्रमशः CMSCST201816748 एवं CMSCST201817638 के आवेदन में इकाई स्थापना संबंधी कागजात नहीं होने के कारण दिनांक–23.01. 2020 के बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में इन्हें Query में रखा गया है। जिसकी सूचना आवेदक को उनके रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं मोबाईल न0 पर भेज दी गयी है।

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

ज्ञापांकः– 867 दिनांकः– 29.02.2020

5/स० तारांकित प्रश्न (विधान सभा)–04/2020

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप सं०–169 दिनांक–19.02.20 के आलोक में 05 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 867 दिनांकः– 29-02-2020

5/स० तारांकित प्रश्न (विधान सभा)–04/2020

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 (स०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री कृष्ण कुमार राय, कार्यकारी प्रबंधक–सह–औद्योगिक अर्थशास्त्री–सह–नोडल पदाधिकारी, विधानमंडलीय ऑनलाईन सूचना प्रणाली/आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।